



राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan

Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/> e-mail: [jdpi.cce@gmail.com](mailto:jdpi.cce@gmail.com) Ph.: 0141-2706736

क्रमांक एफ (20) आकाशि/पॉलिसी/नि.स./2022/420

दिनांक:- 24.2.22

समस्त संस्था सचिव/अध्यक्ष,  
पूर्व संचालित निजी महाविद्यालय,  
राजस्थान।

विषय:- सत्र 2022-23 के लिए पूर्व संचालित निजी महाविद्यालयों हेतु विभागीय एन.ओ.सी पोर्टल खोलने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संलग्न समय सारणी/शुल्क अनुसार पूर्व संचालित महाविद्यालयों के लिए एन.ओ.सी. पोर्टल आज दिनांक 24.02.2022 से प्रारम्भ किया जा रहा है।

संलग्न:-

- 1- समय सारणी।
2. आवेदन शुल्क।

अल्पना

(डॉ. अल्पना व्यास)  
संयुक्त निदेशक (नि.स.)  
कॉलेज शिक्षा राजस्थान

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. विशिष्ट सचिव, उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान।
3. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
4. समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान।
5. सम्बन्धित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान।
6. वेबसाईट प्रभारी आयुक्तानलय कॉलेज शिक्षा जयपुर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

अल्पना

(डॉ. अल्पना व्यास)  
संयुक्त निदेशक (नि.स.)  
कॉलेज शिक्षा राजस्थान

## समय सारणी

क्रम संख्या	प्रकरण	आवेदन की तिथियां	शुल्क की राशि
1	पूर्व संचालित महाविद्यालयों के समस्त प्रकरण	24 फरवरी, 2022 से 22 मार्च 2022 तक	सामान्य आवेदन शुल्क
2	पूर्व संचालित महाविद्यालयों के समस्त प्रकरण	23 मार्च 2022 से 29 मार्च, 2022 तक	सामान्य आवेदन शुल्क एवं रूपयें 25000/- विलम्ब शुल्क
3	अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र अभिवृद्धि/स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु (पूर्व संचालित संकाय/विषय में)/निरीक्षण शुल्क	30 मार्च, 2022 से 05 अप्रैल, 2022 तक	सामान्य आवेदन-शुल्क + रूपये 25000/- विलम्ब शुल्क + रूपये 10000/- अतिरिक्त विलम्ब शुल्क

## आवेदन शुल्क

क्र.सं.	प्रकरण	सामान्य आवेदन शुल्क (रूपयों में)
1	अनापत्ति प्रमाण-पत्र में अभिवृद्धि/स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र (प्रत्येक प्रकरण के लिए)	70,000
2	सहशिक्षा परिवर्तन/महिला शिक्षा परिवर्तन/ नाम परिवर्तन/स्थान परिवर्तन / प्रबन्ध अन्तरण (प्रत्येक प्रकरण के लिए)	50,000
3	पूर्व संचालित महाविद्यालय द्वारा पूर्व में संचालित संकाय में नवीन विषय/विषयों हेतु आवेदन	50,000
4	पूर्व संचालित महाविद्यालयों द्वारा नये संकाय हेतु आवेदन	50,000
5	पूर्व संचालित महाविद्यालयों द्वारा स्नातकोत्तर क्रमोन्नयन प्रति विषय हेतु आवेदन	30,000
6	निरीक्षण शुल्क-स्थायी /अस्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्ति के बाद प्रतिवर्ष	25,000
7	संविलयन ( Merger ) हेतु आवेदन	50,000